प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या : एस0पी0एम0यू/एन0आर0एच0एम0/एम0आई0एस0/ बी0डी0ए0 /2011–12/3318-72 दिनांक : 26/3/12

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 हेतु ब्लॉक स्तर पर संविदा पर कार्यरत ब्लॉक डेटा असिस्टेन्ट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि जनपदों में जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई तथा ब्लॉक प्रबन्धन इकांई क्रियाशील हैं तथा इन इकाइयों पर विभिन्न स्तर के संविदा कर्मी एवं नियमित सेवाओं के स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं। जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई पर कार्यरत विभिन्न कर्मियों के लिए मानदेय एवं अन्य ऑपरेशनल एक्सपेन्सेज के मद में धनराशि तथा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कार्यक्रम प्रबन्धक नियमित सेवा के कर्मी हैं, अतः इनका वेतन जनपद स्तर पर स्टेट बजट से आहरित किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर संविदा पर कार्यरत ब्लॉक डेटा असिस्टेन्ट का मानदेय रु0 8,800.00 प्रतिमाह की दर से वर्ष 2011–12 के लिए स्वीकृत किया गया है तथा प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में 760 ब्लॉक डेटा असिस्टेन्ट कार्यरत हैं, जिनके लिए संलग्न सूची के अनुसार 6 माह (अक्टूबर 2011 से मार्च 2012) हेतु मानदेय की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु जो सामान्य नियम पूर्व में प्रेषित किये गये हैं, वे ही इनके लिए भी लागू होंगे तथा पुनः निम्नवत प्रेषित हैं:–

संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम –

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की तैनाती/अनुबन्ध नवीनीकरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
2. सभी चयन/तैनाती के सम्बन्ध में जो दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं, उन पर सर्वप्रथम जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा की जायेगी और सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष–शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। इस आदेश में जो निर्देश दिये गये हैं, उन प्रतिबन्धों के अधीन ही कार्मिकों की तैनाती/अनुबन्ध नवीनीकरण किया जायेगा।
3. यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में स्वीकृत पदो के सापेक्ष अधिक कार्मिक रख लिये जाते हैं और उनका वेतन भी आहरण किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि

यदि किसी भी जनपद द्वारा ऐसा किया गया तो सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4. सम्बन्धित संविदा कर्मी का माह अक्टूबर 2011 से मार्च 2012 का वेतन दिये जाने से पहले उसके सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप–1 (पत्र के साथ संलग्न) पर सूचना भरकर एस0पी0एम0यू0 कार्यालय में अवश्य प्रेषित की जाय, तथा वेतन भुगतान से पूर्व संविदा कर्मियो की उपस्थित एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा सुनिश्चित करते हुए वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाय।
5. यह पुनः दोहराया जाता है कि समस्त संविदा कर्मियों का अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के साथ ही किया जायेगा।
6. किसी भी दशा में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति स्थान विशेष पर कार्य करने का इच्छुक नहीं है तो उस स्थान पर संविदा समाप्त करने के उपरान्त किसी अन्य स्थान पर सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात ही नियमानुसार नवीन तैनाती की जा सकेगी।
7. ब्लॉक डेटा असिस्टेन्ट के लिए बेन्चमार्क चिन्हित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे के प्रस्तरों में दिया जा रहा है। प्रत्येक कर्मी के मानदेय के भुगतान के लिए आवश्यक है कि वह अपने लिए चिन्हित बेन्चमार्कों की प्राप्ति सुनिश्चित करे, तभी उनके मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
8. संतोषजनक कार्य के आधार पर जो कर्मी/चिकित्सा अधिकारी जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के शासी निकाय से अनुमोदनोपरान्त पुर्नअनुबन्धित कर लिये गये हैं, उनके माह मार्च 2012 तक के मानदेय का भुगतान जनपदवार दी गई स्वीकृत संख्या एवं निर्धारित मानदेय के अनुसार किया जाना है। **माह अक्टूबर 2011 से संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान उनके द्वारा किये गये कार्यों एवं बेन्चमार्कों की समीक्षा के आधार पर ही किया जायेगा।**
9. नियत मासिक मानदेय पर तैनात किये गये समस्त संविदा कर्मी नियमित सेवाओं के कर्मियों की भाँति ही नियत रोस्टर के अनुसार कार्य करेंगे तथा प्रभारी अधिकारी की सहमति से इन्हें साप्ताहिक/आकस्मिक/चिकित्सा अवकाश (वर्ष में अधिकतम 14) तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व अनुमति के पश्चात देय होंगे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का अवकाश अनुमन्य नहीं होगा।
10. यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक के लिएँ अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
11. संविदा कर्मी/चिकित्सक कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। इन्हें ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
12. संविदा कर्मी/चिकित्सक अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही इन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।

13. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार संविदा पर कर्मियों की तैनाती में आरक्षण का यथा सम्भव पालन किया जायेगा।

14. संविदा पर कार्यरत कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में कार्यरत समस्त ब्लॉक डेटा असिस्टेन्ट के अब तक के कार्यों की गहन समीक्षा सुनिश्चित करें तथा माह अक्टूबर 2011 से निम्न बेन्चमार्क पूरे होने पर ही मानदेय के भुगतान की कार्यवाही करें।

क–ब्लॉक की समस्त ए0एन0एम0 के एम0सी0एच0 रजिस्टर की सूचनायें माहवार अद्यतन हों।

ख–एम0सी0टी0एस0 की अद्यतन सूचना कम्प्यूटरीकृत हो।

ग–एच0एम0आई0एस0 की अद्यतन सूचना कम्प्यूटरीकृत हो।

घ–जननी सुरक्षा योजना की 7 दिन पूर्व तक की सूचना वेबसाइट पर हो।

इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर से की जाने वाली समस्त सूचनाओं के कम्प्यूटरीकरण एवं रिपोर्टिंग का कार्य भी इनके द्वारा किया जायेगा। जब तक माहवार बेन्चमार्कों की प्राप्ति नही होगी, तब तक अगले माह के मानदेय का भुगतान न किया जाय। निम्न प्रपत्र–1 पर पूरी सूचना भरकर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को प्रेषित की जाय।

प्रपत्र–1

तैनात/अनुबंधित डेटा असिस्टेन्ट का विवरण (माह अक्टूबर 2011 तक की स्थिति)

जनपद का नाम : ....

क्रम सं0	पदनाम	संविदा कर्मी का नाम एवं पता	संविदा कर्मी का मोबाइल नम्बर	पिता/पति का नाम	तैनाती का स्थान	तैनाती की तिथि	फोटो
ब्लॉक डेटा असिस्टेन्ट–स्वीकृत पदों की संख्या							

नोटः– प्रत्येक स्तर के कर्मी के नाम के सम्मुख फोटो भी प्रदर्शित की जायेगी।

FMR Code10.3

(Amt. in Rs.)

SN	Name of Division	S.no	District	Target No. of Post Block Data cum Account Assistant	Working No. of Block Data Cum Account Assistant	Salary Amount of six month October'11 to March'12 (@Rs.8800.00 per month)
1	Agra	1	Agra	15	12	633600
		2	Mathura	10	10	528000
		3	Mainpuri	9	7	369600
		4	Firozabad	9	9	475200
2	Aligarh	5	Aligarh	12	12	633600
		6	Etah	8	8	422400
		7	Hathras	7	7	369600
		8	Kasiram Nagar	7	6	316800
3	Allahabad	9	Allahabad	20	20	1056000
		10	Kaushambi	8	8	422400
		11	Fatehpur	13	11	580800
		12	Pratapgarh	17	17	897600
4	Azamgarh	13	Azamgarh	22	21	1108800
		14	Mau	9	9	475200
		15	Ballia	17	17	897600
5	Bareilly	16	Bareilly	15	15	792000
		17	Badaun	18	15	792000
		18	Pilibhit	7	7	369600
		19	Shahjahanpur	15	15	792000
6	Basti	20	Basti	14	13	686400
		21	Siddharth Nagar	14	13	686400
		22	Sant Kabir Nagar	9	7	369600
7	Chitrakoot	23	Banda	8	8	422400
		24	Chitrakoot	5	5	264000
		25	Hamirpur	7	7	369600
		26	Mahoba	4	4	211200
8	Faizabad	27	**Faizabad(##)**	11	11	572000
		28	Barabanki	15	14	739200
		29	Ambedkar Nagar	9	9	475200
		30	CSM Nagar	16	15	792000
		31	Sultanpur	14	14	739200
9	Devipatan	32	Gonda	16	16	844800
		33	Balrampur	9	9	475200
		34	Shrawasti	5	5	264000
		35	Bahraich	14	14	739200
10	Gorakhpur	36	Gorakhpur	19	19	1003200
		37	Deoria	16	16	844800

		38	Kushinagar	14	14	739200
		39	Maharajganj	12	12	633600
11	Jhansi	40	Jhansi	8	8	422400
		41	Lalitpur	6	6	316800
		42	Jalaun	9	9	475200
12	Kanpur Nagar	43	Kanpur Nagar	10	9	475200
		44	Etawah	8	8	422400
		45	Auraiya	7	5	264000
		46	Farrukhabad	7	6	316800
		47	**Ram Bai Nagar(#)**	10	9	528000
		48	Kannauj	8	6	316800
13	Lucknow	49	Lucknow	8	7	369600
		50	Sitapur	19	16	844800
		51	Hardoi	19	16	844800
		52	Unnao	16	14	739200
		53	Raebareli	15	15	792000
		54	Lakhimpur Kheri	15	10	528000
14	Meerut	55	Meerut	12	10	528000
		56	Ghaziabad* (Includes Panchsheel Nagar)	4	3	158400
				4	4	211200
		57	Bulandshahar	16	13	686400
		58	Baghpat	6	4	211200
		59	GB Nagar	4	4	211200
15	Mirzapur	60	Mirzapur	12	10	528000
		61	Sonbhadra	8	7	369600
		62	SRN – Bhadohi	6	6	316800
16	Moradabad	63	Moradabad	13	13	686400
		64	Rampur	6	5	264000
		65	Bijnor	11	6	316800
		66	JP Nagar	6	4	211200
17	Saharanpur	67	Saharanpur	11	11	580800
		68	Muzaffarnagar** (Includes Prabudh Nagar)	5	5	264000
				9	9	475200
18	Varanasi	69	Chandauli	9	8	422400
		70	Jaunpur	21	19	1003200
		71	Ghazipur	16	16	844800
		72	Varanasi	8	8	422400
Grand Total				**821**	**760**	**40172000**

The following new two districts figure is included in old districts as per approved PIP 2011-12

SN	Name of Division	Old District	Name of new District	Target No. of Post Block Data cum Account Assistant	Working No. of Block Data Cum Accounts Assistant	Salary Amount of six month October'11 to March'12 (@Rs.8800.00 per month)
*	Meerut	Ghaziabad	Pancheel Nagar	4	3	158400
**	Saharanpur	Muzaffarnagar	Prabudhnagar	5	5	264000

#- Salary of one Block data cum account assistant for first six month added in District Ram Bai Nagar as per the CMO letter no. 3603 Dated 13.10.2011

##- Salary of one Block data cum account assistant for last five month only in District Faizabad as per the CMO letter no. 389-3 Dated 30.01.2012

वित्त पोषण –

उपर्युक्त दी गई फांट के अनुसार तैनात किये जाने वाले समस्त ब्लॉक डेटा असिस्टेन्ट के मानदेय का भुगतान आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के मद संख्या–ए 10.3 से किया जायेगा।

भवदीय,

23/3/12

(सुधीर कुमार श्रीवास्तव)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या : एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/एम0आई0एस0/बी0डी0ए0/2011–12/ दिनॉक :

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0/समस्त डिवीजनल प्रोग्राम मैनेजर्स, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(लोकेश कुमार)
महाप्रबंधक (प्रशासन)